

राजकीय महाविद्यालय बनबसा, चम्पावत (उत्तराखण्ड) 262310



Government Degree College, Banbasa (Champawat), Uttarakhand-262310

Website: [www.gdcbanbasa.org](http://www.gdcbanbasa.org)

Email:- [gdcbanbasa@gmail.com](mailto:gdcbanbasa@gmail.com)

सूचना विवरणिका

लोक प्राधिकारी द्वारा तात्कालिक प्रकटन

**(Proactive Disclosure by Public Authority)**

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी

द्वारा तैयार किये गये 17 मैनुअल

(धारा - 4 के अनुपालन में)

मैनुअल संख्या 01 से 17

संस्करण (2026-2027)

(दिनांक: 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

(डॉ. आनन्द प्रकाश सिंह)

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय बनबसा (चम्पावत)

उत्तराखण्ड

प्रस्तुतकर्ता

(डॉ. भूप नारायण दीक्षित)

लोक सूचना अधिकारी

राजकीय महाविद्यालय बनबसा (चम्पावत)

उत्तराखण्ड

# सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये 17 मैनुअल

## भाग—1

1. संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य।
2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य।
3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।
4. कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।

## भाग—2

5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

## भाग—3

6. ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण।
7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।
8. ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।
9. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।
10. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।
11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।
12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।
13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ।
14. किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।
15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।
16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।
17. ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए।

## प्राचार्य का सन्देश

यह महाविद्यालय अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहा है कि, उत्तराखण्ड में सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा-4 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा तात्कालिक प्रकटन के दायित्व के अन्तर्गत इस महाविद्यालय के द्वारा प्रथम सूचना अधिकार विवरणिका संस्करण **2021-2022** प्रकाशित की जा रही है। सूचना के अधिकार को जन सामान्य तक पहुँचाने तथा इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस विवरणिका का प्रथम संस्करण जारी किया जा रहा है। इस सूचना विवरणिका में सम्मिलित सभी 17 मैनुअल एवं उनके अन्तर्गत प्रदत्त सामग्री जन सामान्य तथा महाविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए इस आशय से अत्यन्त उपयोगी एवं सूचनाप्रद होगी कि इसके माध्यम से समस्त हितधारकों को यथोचित सूचनाएँ एवं जानकारीयों एक दृष्टि में ही उपलब्ध हो सकें। विवरणिका के वर्तमान स्वरूप में सतत् सुधार की आवश्यकता निरन्तर बनी रहेगी तथा एतदर्थ विभिन्न हितधारकों के सुझावों का स्वागत है जिन्हें आगामी संशोधनों में सम्मिलित किया जा सकेगा। यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड के समस्त अधिकारियों के सतत् मार्गदर्शन के लिए आभारी है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि यह सूचना विवरणिका अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगी।



(प्रो० आनन्द प्रकाश सिंह)

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय बनबसा  
(चम्पावत) उत्तराखण्ड

## अनुक्रमणिका मैनुअल 1 से 17

| क्रम संख्या | विवरण                                                                                                                                                                         | पृष्ठ संख्या |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1           | भाग-1: मैनुअल 1<br>संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य                                                                                                                     | 06-11        |
|             | I. महाविद्यालय का विज़न और मिशन                                                                                                                                               | 06           |
|             | II. महाविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास व परिचय                                                                                                                                   | 07           |
|             | III. सत्र 2025-2026 में महाविद्यालय की गतिविधियाँ व उपलब्धियाँ                                                                                                                | 08-09        |
|             | IV. महाविद्यालय का दायित्व एवं कर्तव्य                                                                                                                                        | 10           |
|             | V. महाविद्यालय का प्रशासनिक ढांचा                                                                                                                                             | 11           |
|             | VI. भावी कार्यक्रम एवं नीतियाँ                                                                                                                                                | 11           |
| 2           | भाग-1: मैनुअल 2<br>अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य                                                                                                           | 12-16        |
|             | I. प्राचार्य की शक्तियाँ                                                                                                                                                      | 12           |
|             | II. प्राचार्य के कर्तव्य                                                                                                                                                      | 12           |
|             | III. अधिकारियों/प्राध्यापकों की शक्तियाँ                                                                                                                                      | 13           |
|             | IV. अधिकारियों/प्राध्यापकों के कर्तव्य                                                                                                                                        | 13           |
|             | V. शिक्षक का छात्र के प्रति कर्तव्य                                                                                                                                           | 14           |
|             | VI. शिक्षक और सहयोगी शिक्षक का परस्पर कर्तव्य                                                                                                                                 | 14           |
|             | VII. शिक्षक का अधिकारियों के प्रति कर्तव्य                                                                                                                                    | 15           |
|             | VIII. कर्मचारियों की शक्तियाँ                                                                                                                                                 | 16           |
|             | VIII. कर्मचारियों के कर्तव्य                                                                                                                                                  | 16           |
| 3           | भाग-1: मैनुअल 3<br>विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं                                        | 17-18        |
|             | I. निर्णय करने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित                                                                                                         | 17           |
|             | II. महाविद्यालय का प्रशासनिक एवं शैक्षणिक नियंत्रण एवं निर्देशन, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा तिथियों का निर्धारण एवं शैक्षणिक कैलेंडर संबंधी प्रक्रिया                          | 18           |
| 4           | भाग-1: मैनुअल 4<br>कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान                                                                                                     | 19           |
| 5           | भाग-2: मैनुअल 5<br>अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख | 19           |
|             | I. नियम, विनियम, अनुदेश इत्यादि के स्रोत                                                                                                                                      | 19           |
|             | II. निर्देशिकाएं                                                                                                                                                              | 20           |
|             | III. अभिलेख                                                                                                                                                                   | 20           |
| 6           | भाग-3: मैनुअल 6<br>ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण                                                                        | 21-22        |
|             | I. शैक्षणिक                                                                                                                                                                   | 21           |
|             | II. प्रशासनिक                                                                                                                                                                 | 21           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | III. वित्तीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21    |
|    | IV. पुस्तकालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22    |
|    | V. अन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22    |
| 7  | भाग-3: मैनुअल 7<br>किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं                                                                                                                                                        | 23-23 |
|    | I. शिक्षक अभिभावक संघ (PTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23    |
|    | II. भूतपूर्व छात्र परिषद (Alumni Association)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23    |
| 8  | भाग-3: मैनुअल 8<br>ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी | 24    |
| 9  | भाग-3: मैनुअल 9 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25    |
| 10 | भाग-3: मैनुअल 10<br>प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है                                                                                                                                                                                           | 26    |
| 11 | भाग-3: मैनुअल 11<br>सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट                                                                                                                                                                                     | 27-28 |
|    | I. शासन बजट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27    |
|    | II. महाविद्यालय के छात्र निधि व अन्य खातों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28    |
| 12 | भाग-3: मैनुअल 12<br>सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं                                                                                                                                                                                                     | 29    |
| 13 | भाग-3: मैनुअल 13<br>अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ                                                                                                                                                                                                                                | 30    |
| 14 | भाग-3: मैनुअल 14<br>किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों                                                                                                                                                                                                                         | 30    |
| 15 | भाग-3: मैनुअल 15<br>सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं                                                                                                                                    | 30    |
| 16 | भाग-3: मैनुअल 16<br>लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30    |
| 17 | भाग-3: मैनुअल 17<br>ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30    |

## भाग-1: मैनुअल 1 संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

### I. महाविद्यालय का विज़न और मिशन

#### विज़न (संदृष्टि)

वैश्विक दक्षता और स्थानीय आवश्यकताओं हेतु समानता और समावेशीकरण युक्त समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।

#### मिशन (लक्ष्य)

- न्याय संगत समानता के आधार पर सभी योग्य विद्यार्थियों विशेषतः वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को समग्रता पूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।
- उपलब्ध स्रोतों के सर्वोत्तम उपयोग द्वारा अनुकूलतम शिक्षण वातावरण का निर्माण करना व विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान करना।
- नवीनतम शिक्षा सिद्धांतों एवं तकनीकी जैसे आईसीटी और अन्य डिजिटल माध्यमों के उपयोग से महाविद्यालय के भौतिक व अकादमिक आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधन का सुदृढीकरण।
- शोध परक एवं नवाचारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हुए फैकल्टी तथा विद्यार्थियों को ज्ञान क्षितिज के विस्तार हेतु प्रोत्साहित करना।
- विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण जीवन एवं कार्य के प्रति दृढ़ योग्यता के लिए तैयार करना ताकि वह नजदीकी समुदाय के सतत विकास में अपना योगदान दे सकें।
- विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, मौलिक रचनात्मकता, बौद्धिक जिज्ञासा, सेवा भाव और सतत अधिगम के कौशल का विकास करना जिससे वह अपने भीतर अंतर्निहित निधियों को समझ सकें।

#### Vision

To provide holistic and quality education for global competence and local need on the basis of equality and inclusiveness.

#### Mission

- To provide opportunity of holistic and quality education to all eligible students on the basis of equity and particularly to deprived section.
- To prepare optimal learning environment and support for students with best utilization of resources.
- To strengthen physical and academic infrastructure and human resources of the college by incorporating modern means of teaching and learning aids like ICT and other digital gears with latest pedagogy.

- To initiate programmes for strengthening research and innovations and encourage faculty and students to engage in stretching the frontier of knowledge.
- To prepare the students to lead quality life, strong ability to work and to touch the life of nearby community, consistent with their ability to contribute for sustainable development.
- To develop self-confident and creative individuals with intellectual curiosity, spirit of service, skill of life-long learning and to learn the treasure within.

## II. महाविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास व परिचय

इस राजकीय महाविद्यालय की स्थापना शासनादेश संख्या-827/XXIV(7)-9(6)/2014 एवं शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा) देहरादून, दिनांक 04 मार्च 2014 के द्वारा प्राचार्य, प्राध्यापकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कुल 17 पदों के साथ की गयी। उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में यह महाविद्यालय वर्ष 2014-15 में चम्पावत जिले की तहसील "श्री पूर्णागिरी" में स्थापित किया गया। जिला मुख्यालय चम्पावत से इस महाविद्यालय की दूरी 84 किमी तथा रेलवे स्टेशन बनबसा से 1.5 किमी "चूना भट्टा" रोड पर स्थित है। समुद्रतल से इसकी ऊँचाई 466 मीटर है। यह महाविद्यालय सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। यह महाविद्यालय "शारदा बैराज" के दक्षिण पश्चिम में 4 किमी० की दूरी पर स्थित है। महाविद्यालय से "श्री पूर्णागिरी तीर्थ स्थल" उत्तर-पूरब में 31 किमी की दूरी पर है। उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी देहरादून से यह स्थल 340 किमी की दूरी पर है। यह महाविद्यालय बनबसा क्षेत्र के इण्टरमीडिएट विद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु कला संकाय से स्नातक करने का एक सुगम केन्द्र है। बनबसा भारत के उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जिले में पड़ने वाली नेपाल-भारत सीमा पर स्थित है जिस कारण इसका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग-09 गुजरता है। बनबसा अपनी प्राकृतिक सुन्दरता एवं नदियों के लिये जाना जाता है। पहाड़ से आने वाली काली नदी का बनबसा में नाम परिवर्तित होकर "शारदा" हो जाता है। जिसे मैदानी क्षेत्र में "खन्नौत" नदी के नाम से भी जाना जाता है।

महाविद्यालय स्थापना के साथ प्रथम सत्र से ही स्नातक स्तर तक कला संकाय के कुल 06 विषयों में पठन-पाठन प्रारम्भ किया गया था। हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं समाज शास्त्र प्रत्येक में दो सेक्शन (60 ग 2) 160 सीटें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत हैं। महाविद्यालय में सभी छः विषयों में प्राध्यापक उपलब्ध हैं। वर्तमान में महाविद्यालय में प्राचार्य, 04 नियमित व 02 आमंत्रित शिक्षक व 05 शिक्षणेत्तर कर्मचारी के साथ- 01 योग प्रशिक्षक कार्यरत हैं। अपनी स्थापना के वर्ष से ही महाविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की ओर उन्मुख है। महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं व स्टाफ हेतु पर्याप्त फर्नीचर, कार्यालय, परीक्षा, पुस्तकालय व कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधा, पुस्तकालय में लगभग 2833 पुस्तकें, ई-ग्रन्थालय व आई० सी० टी० युक्त पठन-पाठन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यार्थियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु रोबर/रेंजर, कैरियर काउंसिलिंग सेल, मेण्टरशिप व विभागीय परिषद की सुविधा भी उपलब्ध है।

### III. सत्र 2025–2026 में महाविद्यालय की गतिविधियाँ व उपलब्धियाँ

- i. महाविद्यालय के पास 1.032 हेक्टेअर भूमि उपलब्ध है। जिसमें से 1230 वर्ग मीटर में निम्नानुसार भवन निर्मित हैं।
  1. व्याख्यान कक्ष-05
  2. प्राचार्य कक्ष-01
  3. कार्यालय-01
  4. परीक्षा कक्ष-01
  5. टाफ रूम-01
  6. पुस्तकालय-01
  7. रिकार्ड रूम-01
  8. शौचालय छात्र/छात्रा
- ii. महाविद्यालय वेबसाइट का निर्माण कर उसमें संबंधित सूचनाएँ अपलोड करायी गयी हैं। साथ ही वेबसाइट को निरंतर अपडेट किया जाता है।  
**website: [www.gdcbanbasa.org](http://www.gdcbanbasa.org)**
- iii. वर्तमान में कक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से नियमित रूप से संचालित हो रही हैं।
- iv. महाविद्यालय फेसबुक पेज का निर्माण व संबंधित सूचनाओं का निरंतर प्रसारित हो रही है।
- v. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वरोजगार योजना हेतु जारी HOPE portal (Helping Out People Every Where) के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से महाविद्यालय में होप समिति का गठन किया गया। होप समिति द्वारा जुलाई माह में महाविद्यालय के आस-पास के क्षेत्र में व छात्र-छात्राओं के बीच अपील पत्र व सोशल मीडिया के माध्यम से होप पोर्टल के प्रति जानकारी दी गयी।
- vi. महाविद्यालय के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों द्वारा निकटतम पम्पापुर ग्राम से महाविद्यालय के एक किमी पैदल रास्ते पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। स्वच्छता कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के साथ ही साथ रास्ते में उग आयी झाड़ियों की कटाई भी की गयी। इसमें क्षेत्र के इण्टर कॉलेज, पटवारी, जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों का भी सहयोग रहा।
- vii. 08.03.2025 को रोबर/रेंजर स्वयंसेवियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शराबबंदी, स्वच्छ भारत तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियानों पर पोस्टर, रंगोली व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- viii. 05 अप्रैल 2025 को “आजादी का अमृत महोत्सव” के अन्तर्गत महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- ix. 08 मई 2025 को महाविद्यालय में रेडक्रास दिवस का आयोजन किया गया।
- x. 05 जून 2025 को महाविद्यालय के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों द्वारा पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय परिसर में छायादार, चार पत्ती और फलदार वृक्षों का पौधारोपण किया गया।
- xi. अगस्त माह में महाविद्यालय के सांस्कृतिक समिति द्वारा ऑनलाइन लोकगीत, लोकनृत्य, पारंपरिक वेश-भूषा व मेंहदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पाये विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।
- xii. अगस्त माह में महाविद्यालय के जल संरक्षण समिति द्वारा छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, सिंचाई, विद्युत व पनबिजली इत्यादि के संबंध में ऑनलाइन विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम पाँच स्थान पाये विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।
- xiii. नवीन सत्र 2026–2027 में बी0ए0 प्रथम सत्र में प्रवेश हेतु स्थानीय समाचार पत्रों, सोशल मीडिया व क्षेत्र के इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्यों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

- xiv.** महाविद्यालय की कैरियर काउन्सिलिंग समिति द्वारा छात्र-छात्राओं हेतु ऑनलाइन लाइव परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा का विषय— ऑनलाइन कक्षा, आगामी परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा के दौरान अवसाद से बचाव, मनोवैज्ञानिक तनाव व छात्रों की अन्य समस्याएँ थीं। प्रत्येक कक्षा में अलग-अलग प्राध्यापकों ने मेंटर की भूमिका निभायी।
- xv.** 13.09.2025 को महाविद्यालय की पत्रिका श्री पूर्णागिरी दर्पण का विमोचन संपन्न हुआ।
- xvi.** 02.10.2025 को गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती का आयोजन हुआ।
- xvii.** 10.10.2025 से 15.10.2025 तक सूचना का अधिकार-2005 से सम्बन्धित सप्ताह का आयोजन।
- xviii.** 31.10.2025 को सरदार बल्लभ भाई पटेल जी की के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकतः दिवस के रूप में मनाया गया।
- xix.** 08.03.2025 को रोबर/रेंजर स्वयंसेवियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शराबबंदी, स्वच्छ भारत तथा बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ अभियानों पर पोस्टर, रंगोली व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- xx.** 27.03.2026 को महाविद्यालय में एक दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह 2025-26 का आयोजन किया गया।
- xxi.** 26.09.2025 को एन0एस0एस0/रोबर/रेंजर स्वयंसेवियों हेतु ओरिएंटेशन एवं संविधान दिवस का आयोजन हुआ।
- xxii.** 06.11.2025 राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 'रीमद्गवद्गीता में जीवन प्रबंधन' शीर्षक पर संस्कृत विभाग द्वारा एक वेबिनार का आयोजन।
- xxiii.** 08. नवम्बर. 2025 को "The Intersection of Artificial Intelligence and Machine Learning: Emerging Perspectives in Research and Pedagogy" नामक वेबिनार का आयोजन किया गया।
- xxiv.** 10 नवम्बर 2025 को "उत्तराखंड: 25 वर्षों की सामाजिक यात्रा-उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा" विषयक वेबिनार का आयोजन।
- xxv.** 19 से 20 नवम्बर 2025 को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क पुस्तक वितरण मेले का आयोजन किया गया।
- xxvi.** 08.12.2025 के क्रीड़ा विभाग द्वारा फिट इंडिया के तहत प्रभारी द्वारा योगाभ्यास कराया गया।
- xxvii.** 18.12.2025 को रोबर/रेंजर स्वयंसेवियों द्वारा स्पर्श गंगा दिवस के अवसर पर भाषण व पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- xxviii.** 17.04.2026 को महाविद्यालय में देव भूमि उद्यमिता ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन।
- xxix.** 12.01.2026 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 'स्वामी विवेकानन्द जी के विचारों की उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता' विषय पर राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।
- xxx.** 30.05.2026 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन।
- xxxi.** 05.06.2026 को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन।
- xxxii.** 26 से 27 मार्च 2026 तक वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आयोजन।
- xxxiii.** 27.08.2026 को महाविद्यालय में दीक्षरम्भ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

## IV. महाविद्यालय का दायित्व एवं कर्तव्य

### I. प्रशासनिक –

- महाविद्यालय के प्रबन्धन, नियन्त्रण तथा उनके कार्यों का दायित्व।
- कार्यालय अभिलेख तैयार करना।
- उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड व अन्य संबंधित अधिकारियों व संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचनाओं का प्रेषण।
- महाविद्यालय के राजपत्रित अधिकारियों/प्राध्यापकों/कर्मचारियों से राज्य सरकार एवं यू0 जी0 सी0 नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित आचरण नियमावली का पालन करवाना।
- महाविद्यालय में उच्च मानकों को बनाए रखना।

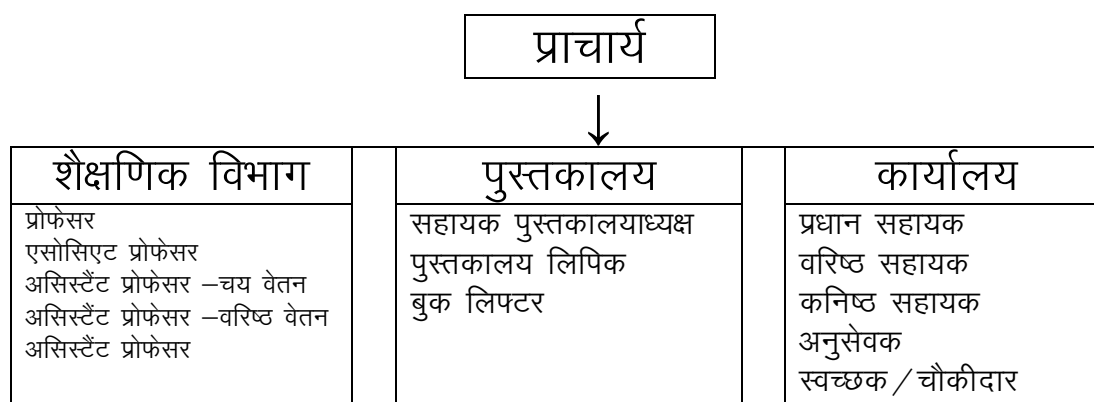
### II. शैक्षणिक –

- विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड व यू0 जी0 सी0 नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत नियत समय पर प्रवेश, परीक्षा व शैक्षिक गतिविधियों का संचालन।
- विद्यार्थियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु पाठ्य सहगामी व पाठ्येत्तर गतिविधियों का समावेश करना।

### III. वित्तीय –

- महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों का नियत समय पर वेतन आहरण व वितरण।
- समय –समय पर पुनर्नीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण व उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड से स्वीकृति प्राप्त करना।
- महाविद्यालय हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड को बजट मांग प्रस्तुत करना व प्राप्त बजट का नियमानुसार व्यय।
- महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के भविष्य निधि/पेंशन निधि से संबंधित अभिलेख तैयार करना व आवश्यकता पड़ने पर उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड को अग्रसारित करना।
- महाविद्यालय के वित्तीय व्यय का ऑडिट करवाना।

## v. महाविद्यालय का प्रशासनिक ढांचा



## VI. भावी कार्यक्रम एवं नीतियाँ

- महाविद्यालय में आन्तरिक गुणवत्ता विनिश्चयन प्रकोष्ठ (आई0क्यू0ए0सी0) की स्थापना तथा उसे प्रभावशाली बनाना ।
- महाविद्यालय को य0जी0सी0 की धारा-2 एफ एवं 12 बी मान्यता प्राप्त कराने हेतु प्रयास करना ।
- महाविद्यालय हेतु परास्नातक कक्षाओं को संचालन के लिए प्रयास करना ।
- छः विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों के स्वीकृति हेतु प्रयास करना ।
- शोध एवं प्रसार को प्रोत्साहित करना ।
- महाविद्यालय के वेबसाईट को निरंतर अपडेट कराना ।
- पठन-पाठन में आधुनिक तकनीकी के समावेश को प्रोत्साहित करना ।
- महाविद्यालय में इन्टरनेट-कनेक्टिविटी सुविधा का प्रसार करना ।
- छात्रोपयोगी कार्यक्रम संचालित करना ।
- छात्रों हेतु कम्प्यूटर लैब व स्मार्ट कक्ष की स्थापना ।
- महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का प्रसार करना ।

## भाग-1: मैनुअल 2

### अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

#### I. प्राचार्य की शक्तियाँ

- i. आहरण व वितरण अधिकारी के रूप में महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/प्राध्यापकों और कर्मचारियों का वेतन आहरण।
- ii. महाविद्यालय को प्राप्त बजट व छात्र निधियों का नियमानुसार व्यय।
- iii. महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/प्राध्यापकों और कर्मचारियों की गोपनीय आख्या में प्रविष्टि।
- iv. महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/प्राध्यापकों और कर्मचारियों के प्रोन्नति व स्थानान्तरण प्रकरण को उच्च शिक्षा निदेशालय हेतु अग्रसारित करना।
- vi. महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/प्राध्यापकों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रकरण को उच्च शिक्षा निदेशालय हेतु अग्रसारित करना। महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/प्राध्यापकों और कर्मचारियों द्वारा लिये गये अवकाश को नियमानुसार स्वीकृत करना।
- vii. महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं को नियमानुसार प्रवेश देना।
- viii. छात्र-छात्राओं के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
- ix. महाविद्यालय के हित में कार्यरत अधिकारियों/प्राध्यापकों और कर्मचारियों को कार्य आवंटन।

#### II. प्राचार्य के कर्तव्य

- i. नीति निर्माण, प्रचालन प्रबंधन, मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ पर्यावरण और धारणीयता के माध्यम से महाविद्यालय को प्रेरणादायक और प्रेरक मूल्य आधारित अकादमिक और कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करें।
- ii. पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें और निर्णय लें जो कि महाविद्यालय के सर्वोत्तम हित में हो।
- iii. कार्य और शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व पूर्ण, इष्टतम तथा प्रभावी तरीके और कुशलता के साथ संसाधनों के प्रबंधन में महाविद्यालय की संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करें।
- iv. महाविद्यालय में सहयोग, साझा करने और परामर्श से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दें जिससे अभिनव सोच और विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके।
- v. ऐसी कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो राष्ट्र और समाज के लिए गणवत्ता, व्यावसायिकता, संतुष्टि और सेवा प्रदान करे।
- vi. आचरण और व्यवहार में उत्तरदायित्व पूर्ण प्रतिमानों का अनपुलन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है।
- vii. पेशे की गरिमा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करें।
- viii. शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में संलिप्त न हों और इसे हतोत्साहित करें।
- ix. समाज सेवा सहित विस्तार, पाठ्यचर्या से जुड़े हुए और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में भाग लें।
- x. अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

### III. अधिकारियों/प्राध्यापकों की शक्तियाँ

- i. शैक्षणिक कार्य हेतु विद्यार्थियों को नियमानुसार कक्षा में उपस्थिति हेतु निर्देशित करना।
- ii. कैरियर एडवांसमेंट हेतु प्रयासरत रहते हुए नियमानुसार ऐसी गतिविधियों में प्रतिभाग करना।
- iii. उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड व यू0जी0सी0 द्वारा मानित अवकाशों को नियमानुसार स्वीकृत करा कर उपभोग करना।
- iv. शैक्षणिक वातावरण/परीक्षा की शुचिता का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्तुत करना।

### IV. अधिकारियों/प्राध्यापकों के कर्तव्य

- i. जो कोई भी शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाता है उसका दायित्व होता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाए रखे।
- ii. एक शिक्षक लगातार अपने छात्रों और समाज की समीक्षा के अधीन रहता है। इसलिए, प्रत्येक शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी के बीच कोई भेद नहीं हो।
- iii. पहले से ही निर्धारित शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्शों और उन्हें छात्रों में प्रसार करना एक शिक्षक का स्वयं का आदर्श होना चाहिए। इस व्यवसाय में आगे यह भी आवश्यक है कि शिक्षक शांत, धैर्यवान, मिलनसार और मैत्रीपूर्ण स्वभाव का हो।
- iv. एक शिक्षक को ऐसा जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जैसा कि समुदाय उनसे आशा करता है।
- v. उन्हें अपने निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए जो कि पेशे की प्रतिष्ठा के अनुरूप हों।
- vi. अध्ययन और शोध के माध्यम से लगातार पेशेवर विकास जारी रखने चाहिए।
- vii. ज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पेशेवर बैठकों संगोष्ठियों, सम्मेलनों इत्यादि में भागीदारी करके मुक्त और मैत्रीपूर्ण विचार व्यक्त करने चाहिए।
- viii. पेशेवर संगठनों में सक्रिय सदस्यता को बनाए रखना चाहिए और उनके माध्यम से शिक्षा और व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।
- ix. विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से शिक्षण, अनुशिक्षण, प्रायोगिक ज्ञान, संगोष्ठियों और शोध कार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए।
- x. शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में शामिल नहीं होना और उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए।
- xi. महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के अधिनियम, साविधि और अध्यादेश का पालन करना चाहिए और महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के आदर्शों, विजन, मिशन, सांस्कृतिक पद्धतियों और परंपराओं का आदर करना चाहिए।
- xii. महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक दायित्वों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करना जैसे कि प्रवेश हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करना, छात्रों को परामर्श देना और उनका मार्गदर्शन और निगरानी करना, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने सहित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षाएं आयोजित कराने में सहायता करना।
- xiii. सामुदायिक सेवा सहित सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर कार्यकलापों के विस्तार में भागीदारी करना।

## शिक्षक का छात्र के प्रति कर्तव्य

- i. शिक्षक को छात्रों को विचार व्यक्त करने के उनके अधिकारों और प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए।
- ii. छात्रों के धर्म, जाति, लिंग, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक गुणों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनसे निष्पक्ष और बिना भेद भाव व्यवहार करना चाहिए।
- iii. छात्रों के व्यवहार और क्षमताओं में अंतर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
- iv. छात्रों को उनकी उपलब्धियों में और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और सामुदायिक कल्याण में योगदान देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।
- v. छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति, जिज्ञासा का भाव और लोकतंत्र, देशभक्ति, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, और शांति के आदर्श का संचरण करना चाहिए।
- vi. छात्रों के साथ सम्मान से व्यवहार करना और किसी भी कारण के लिए किसी के साथ प्रतिशोधात्मक तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए।
- vii. गुणों का मूल्यांकन करने में छात्र की केवल उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए।
- viii. कक्षा के समय के बाद भी छात्रों के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना और बिना किसी लाभ और पुरस्कार के छात्रों की सहायता और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए।
- ix. छात्रों में हमारी राष्ट्रीय विरासत और राष्ट्रीय उद्देश्यों की समझ विकसित करने में सहायता करना चाहिए।
- x. अन्य छात्रों, सहपाठियों अथवा प्रशासन के विरुद्ध छात्रों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए।

## शिक्षक और सहयोगी शिक्षक का परस्पर कर्तव्य

- i. शिक्षक को पेशे से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह स्वयं के साथ पसंद करेंगे।
- ii. अन्य शिक्षकों के बारे में आदरपूर्वक बात करना और पेशेवर बेहतरी के लिए सहायता देनी चाहिए।
- iii. उच्च प्राधिकारियों को सहयोगियों के विरुद्ध बेबुनियादी आरोप लगाने से बचना चाहिए।
- iv. अपने पेशेवर प्रयासों में जाति, रंग, धर्म, प्रजाति अथवा लिंग संबंधी विचारों को नहीं आने देना चाहिए।

## शिक्षक का प्राधिकारी के प्रति कर्तव्य

- i. शिक्षक को लागू नियमों के अनुसार अपने व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और अपने स्वयं के संस्थागत निकाय और/ अथवा व्यवसायिक संगठनों के माध्यम से पेशे के लिए घातक ऐसे नियम में परिवर्तन के लिए कदम उठाने के लिए पेशे के अनुकूल प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन करना चाहिए जो पेशेवर हित में हों।
- ii. निजी ट्यूशन और अनुशिक्षण कक्षाओं सहित अन्य कोई रोजगार और प्रतिबद्धता से दूर रहना चाहिए जिससे उनके पेशेवर उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप होने की संभावना हो।
- iii. विभिन्न पदों का कार्यभार स्वीकार करके और उक्त पदों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके संस्था की नीति निर्माण में सहयोग करना।
- iv. अन्य संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में अपने संगठनों के माध्यम से सहयोग करके पदों को स्वीकार करेंगे।
- v. पेशेवरी मर्यादा के अनुरूप और हितों के मद्देनजर संस्थाओं की बेहतरी हेतु प्राधिकरणों का सहयोग करना चाहिए।
- vi. परिशिष्ट की शर्तों का अनुपालन करेंगे।
- vii. किसी स्थिति में नियोजन में परिवर्तन से पहले उचित नोटिस देंगे और ऐसे नोटिस की अपेक्षा करेंगे।
- viii. अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त छुट्टियां लेने से बचेंगे और जहां तक संभव हो सके शैक्षणिक सत्र को पूरा करने हेतु अपने विशेष उत्तरदायित्वों के मद्देनजर छुट्टी लेने से पूर्व सूचना प्रदान करेंगे।

## शिक्षक का शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रति कर्तव्य

- i. शिक्षकों को चाहिए कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में सहयोग से किए जाने वाले कार्यों में शिक्षणेत्तर स्टाफ को अपना सहकर्म और समान सहयोगी समझें।
- ii. शिक्षकों और शिक्षणेत्तर स्टाफ से संबंधित संयुक्त स्टाफ परिषदों के कार्य में सहायता करें।

## शिक्षक का अभिभावक के प्रति कर्तव्य

- i. शिक्षकों को चाहिए कि शिक्षक, निकायों और संगठनों के माध्यम से इस बात पर ध्यान देने का प्रयास करें कि संस्थाएं अभिभावकों और अपने विद्यार्थियों के साथ संपर्क बनाएं और जब कभी आवश्यक हो, अभिभावकों को उनकी निष्पादन रिपोर्ट भेजें और परस्पर विचारों के आदान-प्रदान और संस्था के लाभ हेतु इस प्रयोजनार्थ आयोजित बैठकों में अभिभावकों से भेंट करें।

## शिक्षक का समाज के प्रति कर्तव्य

- i. शिक्षकों को चाहिए कि इस बात को स्वीकार करें कि शिक्षा एक जन सेवा है और चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयास करें।
- ii. समाज में शिक्षा में सुधार करने और समाज के नैतिक और बौद्धिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करें।
- iii. सामाजिक समस्याओं से अवगत हों और ऐसी क्रियाकलापों में भाग लें जो समाज की प्रगति और कुल मिलाकर देश की प्रगति में सहायक हो।
- iv. नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करें, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लें और सरकारी सेवा के उत्तरदायित्वों में सहायता करें।

- v. ऐसी क्रियाकलापों में भाग लेने से और सदस्य बनने या किसी भी प्रकार से सहायता करने से बचें जो विभिन्न समुदायों, धर्मों या भाषाई समूहों में नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देती हों, परंतु राष्ट्रीयता एकता के लिए सक्रिय होकर कार्य करें।

## **V. कर्मचारियों की शक्तियाँ**

- i. राज्य सरकार उत्तराखण्ड द्वारा राज्य कर्मचारियों को दिये गये सुविधाओं का नियमानुसार उपभोग करना।
- ii. राज्य सरकार उत्तराखण्ड द्वारा मानित अवकाशों को नियमानुसार स्वीकृत करा कर उपभोग करना।
- iii. महाविद्यालय के किसी भी सदस्य द्वारा किये गये गलत आचरण को प्राचार्य के संज्ञान में लाना।

## **VI. कर्मचारियों के कर्तव्य**

- i. राज्य कर्मचारियों का दायित्व होता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाए रखें।
- ii. महाविद्यालय के हित में प्राधिकारी, शिक्षकों, छात्रों व सहयोगी कर्मचारियों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखते हुए कार्य करें।
- iii. महाविद्यालय द्वारा आवंटित कार्यों का निष्पादन करें।

### भाग—1:

## मैनुअल 3 विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

- I. निर्णय करने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित।
- II. महाविद्यालय का प्रशासनिक एवं शैक्षणिक नियंत्रण एवं निर्देशन, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा तिथियों का निर्धारण एवं शैक्षणिक कैलेंडर संबंधी प्रक्रिया।

### I. निर्णय करने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित।

शासकीय प्रकृति के रेखीय संगठन में प्राधिकार उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं, जबकि इसके विपरीत उत्तरदायित्व उच्च स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं और इस प्रकार निर्णयन प्रक्रिया पद सोपान क्रम में समान मार्गों में निहित होती है, जिसे निम्नवत रेखांकित किया जा सकता है:—

- i. प्रत्येक प्रकरण जो समुचित प्राधिकारी के विचारार्थ लाया जाता है, सर्वप्रथम अभिलेख एवं प्रपत्रों को धारित करने वाले अनुभाग के पास सत्यापन हेतु भेजा जाता है, जिनके द्वारा उस पर अब तक अनुपालन की गयी प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति तथा उपलब्ध नियमों एवं विनियमों के आलोक में की जा सकने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया जाता है।
- ii. पदधारणकर्ता प्रभारी अधिकारी प्रकरण के समय से निस्तारण को सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करते हैं तथा पत्रावली में अपनी टिप्पणी अंकित कर उसे उच्च प्राधिकारी को भेज देते हैं।
- iii. उच्च प्राधिकारी प्रकरण की प्रकृति के अनुसार उचित होने पर, अनुकूलतम एवं सर्वोत्तम संभव निर्णय पर पहुंचने हेतु उसके समस्त आयामों पर विचार विमर्श करते हैं।
- iv. विधिक एवं विशेषज्ञ राय की आवश्यकता वाले प्रकरणों में उनसे सलाह के पश्चात ही निर्णय लिये जाते हैं तथा उच्च प्राधिकारियों के पास, निर्देशों एवं स्वीकृतियों हेतु प्रेषित प्रस्तावों पर उनके निर्देश प्राप्त किये जाते हैं।
- v. उचित निर्णयों पर पहुंचने हेतु विभागीय स्तर पर नियुक्त समितियों से, उनको सौंपे गये विशिष्ट कार्य पर, उनकी संस्तुतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- vi. नियमों एवं आदेशों के अनुसार प्रत्येक समूह के अधिकारियों हेतु अनुमन्य प्रतिनिहित प्राधिकार सीमा के अन्तर्गत ही निर्णय लिये जाते हैं। उचित नियोजन, नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सेमिनारों, सम्मेलनों, सभाओं एवं वर्कशापों का आयोजन भी किया जाता है।

## II. महाविद्यालय का प्रशासनिक एवं शैक्षणिक नियंत्रण एवं निर्देशन, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा तिथियों का निर्धारण एवं शैक्षणिक कैलेण्डर संबंधी प्रक्रिया।

उत्तराखण्ड में अवस्थित सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाला यह शासकीय महाविद्यालय उच्च शिक्षा निदेशालय एवं उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आता है। किन्तु शैक्षणिक एवं शिक्षणोत्तर क्रियाकलापों के सम्बन्ध में इस पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय का निर्देशन एवं नियंत्रण रहता है। विश्वविद्यालय के द्वारा ही अपने सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिये शैक्षणिक एवं शिक्षणोत्तर गतिविधियों का कैलेण्डर बनाया जाता है।

- i. प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों एवं प्रक्रिया का निर्धारण प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। यह नियम महाविद्यालय के द्वारा निर्गमित प्रवेश सूचना विवरणिका में भी प्रकाशित होते हैं। महाविद्यालयों में प्रवेश इन्हीं नियमों के अन्तर्गत किया जाता है।
- ii. वर्तमान में पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर योग्यता क्रम में विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश दिया जाता है।
- iii. परीक्षा तिथियों एवं पाठ्यक्रमों का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है तथा परीक्षाएँ महाविद्यालय में बनाये गये परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालय के निर्देशन में आयोजित करायी जाती हैं। एतदर्थ वरिष्ठ एवं सहायक केन्द्राधीक्षकों, प्रायोगिक परीक्षा परीक्षकों, प्रधान एवं सहायक परीक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती है तथा परीक्षा परिणाम भी विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित किये जाते हैं।
- iv. विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार ही महाविद्यालय में विश्वविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है एवं राष्ट्रीय सेवायोजना सामान्य कार्यक्रमों एवं विशेष शिविरों का आयोजन भी विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित कैलेण्डर के अनुसार किया जाता है।
- v. इस शासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं पदोन्नति के द्वारा विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में तैनाती सामान्यतः वार्षिक प्रबन्ध के समय की जाती है।

## भाग-1: मैनुअल 4

### कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

मैनुअल-3 में उल्लिखित समस्त नियमों, विनियमों, अनुदेशों तथा अभिलेखों में इनका उल्लेख है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित नियमावलियों से भी सन्दर्भ आवश्यकतानुसार लिया जाता है।

- I. मूल नियम वित्तीय हस्त पुस्तिका (समस्त खण्ड)
- II. मूल सेवा नियमावली
- III. सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली

### कार्यालय में उपस्थिति एवं ठहराव का समय:-

महाविद्यालय प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक (कार्य दिवसों में) खुला रहता है। महाविद्यालय की निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नियमित रूप में प्राध्यापकों की उपस्थिति आवश्यक है। साथ ही प्रत्येक प्राध्यापक के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 5 घण्टे की उपस्थिति य00 जी0सी0 मानकों के अनुसार अनिवार्य है। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार अधिक समय हेतु उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

## भाग-2: मैनुअल 5

### अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

### I. नियम, विनियम, अनुदेश इत्यादि के स्रोत:-

- i. महाविद्यालय स्थापना संबंधित शासनादेश।
- ii. भाग-1 के मैनुअल 1 से 4 में सम्मिलित नियम-विनियम इत्यादि।
- iii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम एवं विनियम तथा अनुदेश इत्यादि।
- iv. उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह क) सेवा नियमावली 2003 एवं संशोधन।
- v. उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत विज्ञप्तियाँ, कार्यालय आदेश एवं निर्देश।
- vi. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश, अध्यादेश एवं अधिसूचनाएं।
- vii. विश्वविद्यालय स्तरीय विभिन्न बोर्डों, परिषदों, समितियों, द्वारा पारित प्रस्ताव नियम एवं अनुदेश।
- viii. महाविद्यालय स्तर पर शासकीय नीतियों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यालय आदेश एवं निर्देश।

## II. निर्देशिकाएं :-

- i. विश्वविद्यालय व महाविद्यालय प्रवेश सूचना विवरणिका।
- ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत रेगुलेशन 2018।
- iii. सूचना अधिकार अधिनियम 2005।
- iv. उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत वर्ष 2020-21 में अनुमन्य नयी मानक मदों की सूची।
- v. उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची।
- vi. विश्वविद्यालय संबद्धता नियमावली।
- vii. उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड का 'सूचना का अधिकार मैनुअल' (सॉफ्ट कॉपी)

## III. अभिलेख:-

- i. प्राध्यापक व कार्मिक श्रेणी अनुसार उपस्थिति पंजिकाएं।
- ii. पत्र प्रेषण एवं प्राप्ति पंजिकाएं।
- iii. वर्गीकृत पत्रावलियाँ एवं गार्ड फाइल।
- iv. रोकड़ बही, स्टॉक पंजिकाएं, खाता-बहियाँ, शुल्क पंजिकाएं, वेतन भत्तों की पंजिकाएं, अग्रिम, ट्रेजरी संबंधी अभिलेख, एवं बैंक -व्यवहार संबंधी पंजिकाएं एवं प्रतिपण।
- v. छात्र पंजिकायें, प्राध्यापक निर्मित विद्यार्थी उपस्थिति पंजिकाएं।
- vi. महाविद्यालय स्टाफ-स्टेटमैन्ट्स।
- vii. छात्र-निधियों से संबंधित अभिलेख - रोकड़ पंजिकाएं, पास बुक व गार्ड फाइलें।
- viii. आय-व्यय संबंधी अभिलेख।
- ix. चल-अचल सम्पत्ति संबंधी अभिलेख।
- x. मूवमैन्ट एवं यात्रा अभिलेख पंजिका/पत्रावली।
- xi. बैठकों एवं सभाओं के कार्य विवरण एवं पारित प्रस्ताव।
- xii. राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावलियों का रखरखाव।
- xiii. आदेश, अनुमति व समिति पंजिकाएं।
- xiv. पुस्तकालय प्राप्ति पंजिका/ निर्गमन पंजिका/ कैटलॉग रजिस्टर आदि।
- xv. आडिट अनुपालन आख्या/ निराकरण से सम्बन्धित पत्रावलियां।
- xvi. सर्विस बुक, सामान्य भविष्य निधि व एन0 पी0 एस0 सम्बन्धित लेजर-पासबुक।
- xvii. सूचना का अधिकार पंजिका।
- xviii. अधिकारियों/प्राध्यापकों व कर्मचारियों के अवकाश का लेखा-जोखा।

**भाग-3: मैनुअल 6**  
**ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण**

## **I. शैक्षणिक**

- i. प्रवेश-प्रत्येक सत्र में लिए गए छात्रों के प्रवेश संबंधी आवेदन पत्र, टी0सी0, सी0 सी0 इत्यादि का अभिलेख प्राचार्य कार्यालय के नियंत्रण में रहता है।
- ii. छात्रों की उपस्थिति पंजिका-प्रत्येक विषय व कक्षा में छात्रों की उपस्थिति पंजिका संबंधित प्राध्यापकों द्वारा धारित की जाती है।
- iii. परीक्षा-विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के छात्रों हेतु आयोजित परीक्षा से संबंधित सूचना परीक्षा विभाग में परीक्षा प्रभारी द्वारा धारित की जाती है।
- iv. पाठ्येतर व पाठ्य सहगामी क्रिया कलाप- इससे संबंधित सूचनाएं संबंधित प्राध्यापकों या इस हेतु गठित समिति के अधीन रहती हैं।
- v. प्रयोगशाला- प्रयोगशाला से संबंधित स्टॉक रजिस्टर व अन्य अभिलेख संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के नियंत्रण में प्रयोगशाला सहायक द्वारा धारित किया जाता है।

## **II. प्रशासनिक**

- i. सामान्य अभिलेख-महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/प्राध्यापकों व कर्मचारियों से संबंधित सूचना, प्राध्यापक व कार्मिक श्रेणी अनुसार उपस्थिति पंजिकाएं, वर्गीकृत पत्रावलियाँ एवं गार्ड फाइल, पत्र प्रेषण एवं प्राप्ति पंजिकाएं, महाविद्यालय स्टाफ-स्टेटमेंट्स, बैठकों एवं सभाओं के कार्य विवरण एवं पारित प्रस्ताव, आदेश, अनुमति व समिति पंजिकाएं, चल-अचल सम्पत्ति संबंधी अभिलेख, यात्रा अभिलेख पंजिका/पत्रावली, सर्विस बुक, सामान्य भविष्य निधि व एन0 पी0 एस0 सम्बन्धित लेजर-पासबुक, अधिकारियों/प्राध्यापकों व कर्मचारियों के अवकाश का लेखा-जोखा सूचना का अधिकार पंजिका, इत्यादि प्राचार्य कार्यालय में प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक (महाविद्यालय में विभिन्न सत्रों में कार्यरत कार्यालय कर्मचारी की उपलब्धता के आधार पर) के नियंत्रण में रहता है।
- ii. गोपनीय आख्या- राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय आख्या संबंधित पत्रावलियाँ प्राचार्य के नियंत्रण में रहती हैं।

### III. वित्तीय

संबंधित समस्त अभिलेख प्राचार्य कार्यालय में प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक (महाविद्यालय में विभिन्न सत्रों में कार्यरत कार्यालय कर्मचारी की उपलब्धता के आधार पर) के नियंत्रण में रहता है। अभिलेखों का वर्गीकरण निम्नवत है।

- i. ट्रेजरी संबंधी अभिलेख—शासन द्वारा प्राप्त बजट के व्यय, बिल, वाउचर, गार्ड फाइल संबंधी।
- ii. छात्र—निधियों से संबंधित अभिलेख — रोकड़ पंजिकाएं, पास बुक व गार्ड फाइलें।
- iii. बैंक —बैंक व्यवहार पंजिकाएं एवं प्रतिपण।
- iv. अन्य वित्तीय अभिलेख — रोकड़ बही, स्टॉक पंजिकाएं, खाता—बहियाँ, शुल्क पंजिकाएं, वेतन भत्तों की पंजिकाएं, अग्रिम, बजट पंजिका, आय—व्यय संबंधी अभिलेख, आडिट अनुपालन आख्या/निराकरण से सम्बन्धित पत्रावलियां इत्यादि।

### IV. पुस्तकालय

पुस्तकालय प्राप्ति पंजिका/ निर्गमन पंजिका/ कैटलॉग रजिस्टर आदि सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा उनके अधीन कर्मचारी द्वारा धारित किया जाता है।

### V. अन्य

कुछ विशिष्ट पत्रावलियाँ, पंजिकायें तथा तत्सम्बन्धी दस्तावेज प्राचार्य द्वारा गठित समितियों के संयोजकों के नियन्त्रणाधीन होती हैं।

### भाग-3: मैनुअल 7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत है—

#### I. शिक्षक अभिभावक संघ (PTA) :—

संस्था एवं स्थानीय समाज के पारस्परिक संबंधों में वृद्धि तथा स्थानीय समाज के भौतिक, आर्थिक एवं नैतिक सहयोग से संस्था की समस्याओं के निराकरण के प्रयास हेतु महाविद्यालय में अभिभावक-शिक्षक परिषद (पीटीपी) का गठन किया गया है। प्राचार्य के संरक्षण में गठित इस संघ के अध्यक्ष का चुनाव अभिभावकों में से किया जाता है तथा महाविद्यालय के नामित शिक्षक इसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं। पीटीपी के प्रमुख कार्य निम्नवत हैं:—

- i. शिक्षण संस्थाओं एवं छात्र अभिभावकों के मध्य संवाद स्थापित करना।
- ii. संस्था की नीतियों एवं कार्यक्रमों में जन-सहभागिता को प्रोत्साहित कर परामर्श करना व सुझावों को समुचित महत्व देना।
- iii. संस्था के संसाधनों को बढ़ाने में निजी सहयोग प्राप्त करना।
- iv. अभिभावकों को संस्था के विकास एवं नवीनतम प्रवृत्तियों की जानकारी प्रदान करना।

#### II. भूतपूर्व छात्र परिषद (Alumni Association):—

महाविद्यालय के उन भूतपूर्व छात्रों, जिन्होंने समाज के विविध क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियाँ अर्जित कर अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, के साथ संवाद स्थापित कर उनकी उपलब्धियों से विद्यार्थियों को प्रेरित करने तथा उनकी विशेषताओं से संस्था को लाभान्वित करने हेतु भूतपूर्व छात्र परिषद का गठन महाविद्यालय में किया जाएगा। भूतपूर्व छात्र परिषद के कार्य निम्नवत हैं:—

- i. गणमान्य पूर्व छात्रों से संवाद स्थापित कर उन्हें विविध क्रियाकलापों एवं आयोजनों में आमंत्रित करना।
- ii. संस्था के गुणवत्तापूर्ण विकास में उनकी प्रतिभागिता प्राप्त करना व उनके सुझावों को महत्व देना।
- iii. संस्था के विकास हेतु बहुआयामी समर्थन प्राप्त करने के प्रयास करना।

### भाग—3: मैनुअल 8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी

महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों के संचालन हेतु गठित समितियों का विवरण—

- I. महिला उत्पीडन निवारण ग्रीवान्स समिति
- II. शास्ता मंडल /एंटी रैगिंग समिति
- III. धूम्रपान निरोधक व नशा मुक्ति समिति
- IV. छात्रसंघ निर्वाचन/छात्र कल्याण व ग्रीवान्स समिति
- V. परीक्षा समिति
- VI. क्रय समिति
- VII. अनुरक्षण समिति
- VIII. आयकर समिति
- IX. सूचनाधिकार अधिनियम समिति
- X. शिक्षण समय सारिणी
- XI. वार्षिक कलेन्डर समिति
- XII. क्रीड़ा समिति
- XIII. छात्रवृत्ति समिति
- XIV. सांस्कृतिक समारोह समिति
- XV. AISHE
- XVI. IQAC
- XVII. स्वच्छता/पर्यावरण समिति
- XVIII. शिक्षक/अभिभावक समिति
- XIX. पूर्व छात्र समिति
- XX. पुस्तकालय समिति
- XXI. कैरियर एण्ड काउंसिलिंग/प्लेसमेन्ट
- XXII. वेबसाइट व सोशल मीडिया समिति
- XXIII. ICT एवं Online Teaching
- XXIV. KPI समिति
- XXV. प्रवेश विवरणिका समिति
- XXVI. एरियर समिति
- XXVII. MIS समिति
- XXVIII. ई-ग्रंथालय व वाचनालय समिति
- XXIX. समारोहक

**इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर कुछ अस्थायी समितियाँ भी गठित की जाती हैं।**

इन बोर्डों, परिषदों, समितियों और निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।

नियमानुसार बैठकों में नामित जनप्रतिनिधि अथवा विशेष व्यक्ति तत्सम्बन्धी बोर्ड, समिति अथवा परिषद में सूचना देकर आमन्त्रित किये जाते हैं एवं उन तक कार्यवृत्त की पहुँच होती है। किन्तु कतिपय अपवाद को छोड़कर शेष सभी बैठकों के कार्यवृत्तों तक जनता की पहुँच नियमानुसार उपलब्ध होगी।

**भाग-3: मैनुअल 9**  
**अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका**

राजकीय महाविद्यालय बनबसा (चम्पावत) में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

| क्रम संख्या         | अधिकारी / कर्मचारी का नाम | पदनाम                                         | मूल वेतन    |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1                   | डॉ० आनन्द प्रकाश सिंह     | प्राचार्य                                     | 199600 /—   |
| 2                   | डॉ० राजीव कुमार सक्सेना   | असिस्टेंट प्रोफेसर—समाजशास्त्र                | 82300 /—    |
| 3                   | डॉ० भूप नरायन दीक्षित     | असिस्टेंट प्रोफेसर—अंग्रेजी                   | 75200 /—    |
| 4                   | डॉ० कमलेश शक्टा           | असिस्टेंट प्रोफेसर—संस्कृत                    | 75200 /—    |
| 5                   | डॉ० सुशीला आर्या          | असिस्टेंट प्रोफेसर—अर्थशास्त्र                | 66800 /—    |
| 6                   | श्री हेम कुमार गहतोड़ी    | असिस्टेंट प्रोफेसर—हिन्दी (आमंत्रित)          | नियत मानदेय |
| 7                   | डॉ० सुधीर मलिक            | असिस्टेंट प्रोफेसर—राजनीति विज्ञान (आमंत्रित) | नियत मानदेय |
| 8                   | रिक्त                     | सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष                        | —           |
| 9                   | श्रीमती कमला चडडा         | योग प्रशिक्षक                                 | नियत मानदेय |
| 10                  | श्री कमलेश जोशी           | प्रशासनिक अधिकारी                             | 47600 /—    |
| 11                  | श्रीमती जयन्ती देवी       | प्रधान सहायक                                  | 38700 /—    |
| 12                  | रिक्त                     | कनिष्ठ सहायक                                  | —           |
| 13                  | रिक्त                     | पुस्तकालय लिपिक                               | —           |
| 14                  | श्री त्रिलोक कांडपाल      | कार्यालय अनुसेवक                              | 18000 /—    |
| 15                  | श्री नर सोनू              | स्वच्छक                                       | 18000 /—    |
| आउटसोर्स उपनल के पद |                           |                                               |             |
| 1                   | श्री अमर सिंह             | कार्यालय अनुसेवक                              | नियत वेतन   |
| 3                   | श्री विनोद कुमार चन्द     | पुस्तकालय बुक लिफ्टर                          | नियत वेतन   |
| 4                   | श्री देवकीनन्दन जोशी      | चौकीदार                                       | नियत वेतन   |

**भाग-3: मैनुअल 10**  
**प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है**

शासनादेश संख्या-827 / XXIV(7)-9(6) / 2014 एवं शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा)  
 देहरादून, दिनांक 04 मार्च 2014

| क्रम संख्या         | अधिकारी / कर्मचारी का नाम | पदनाम                                         | वेतनमान व लेवल               |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1                   | डॉ0 आनन्द प्रकाश सिंह     | प्राचार्य                                     | 144200-218200 लेवल 14        |
| 2                   | डॉ0 राजीव कुमार सक्सेना   | असिस्टेंट प्रोफेसर-समाजशास्त्र                | 68900-205600 लेवल 11         |
| 3                   | डॉ0 भूप नरायन दीक्षित     | असिस्टेंट प्रोफेसर-अंग्रेजी                   | 57700-182400 लेवल 10         |
| 4                   | डॉ0 कमलेश शक्टा           | असिस्टेंट प्रोफेसर-संस्कृत                    | 57700-182400 लेवल 10         |
| 5                   | डॉ0 सुशीला आर्या          | असिस्टेंट प्रोफेसर-अर्थशास्त्र                | 57700-182400 लेवल 10         |
| 6                   | श्री हेम कुमार गहतोड़ी    | असिस्टेंट प्रोफेसर-हिन्दी (आमंत्रित)          | नियत वेतन 35000 / -          |
| 7                   | डॉ0 सुधीर मलिक            | असिस्टेंट प्रोफेसर-राजनीति विज्ञान (आमंत्रित) | नियत वेतन 35000 / -          |
| 8                   | रिक्त                     | सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष                        | ---                          |
| 9                   | श्रीमती कमला चडडा         | योग प्रशिक्षक                                 | नियत वेतन 22058 / -          |
| 10                  | श्री कमलेश जोशी           | प्रशासनिक अधिकारी                             | 29200-92300 लेवल- 07         |
| 11                  | श्रीमती जयन्ती देवी       | प्रधान सहायक                                  | 35400-112400 लेवल-06         |
| 12                  | रिक्त                     | कनिष्ठ सहायक                                  | ---                          |
| 14                  | श्री त्रिलोक कांडपाल      | कार्यालय अनुसेवक                              | नियत वेतन 28800 / - लेवल- 01 |
| 15                  | श्री नर सोनू              | कार्यालय अनुसेवक-स्वच्छक / चौकीदार            | नियत वेतन 28800 / - लेवल- 01 |
| आउटसोर्स उपनल के पद |                           |                                               |                              |
| 1                   | श्री अमर सिंह             | कार्यालय अनुसेवक (उपनल)                       | नियत वेतन                    |
| 2                   | श्री विनोद कुमार चन्द     | पुस्तकालय बुक लिपटर (उपनल)                    | नियत वेतन                    |
| 3                   | श्री देवकीनन्दन जोशी      | चौकीदार (उपनल)                                | नियत वेतन                    |

वेतन निर्धारण की पद्धति:-नियमानुसार निर्धारित मूल वेतन में निम्नांकित को जोड़कर सकल परिलब्धियों का निर्धारण किया जाता है:

- I. मँहगाई भत्ता
- II. मकान किराया भत्ता (वेतन स्लैब के अनुसार)
- III. पर्वतीय भत्ता
- IV. विशेष वेतन (प्राचार्य हेतु)

**भाग-3: मैनुअल 11**  
**सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों**  
**की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को**  
**आवंटित बजट**

I. शासन बजट— दिनांक 1-4-2025 से 31-3-2026 तक शासन द्वारा कुल आवंटित बजट, व्यय एवं अवशेष ( बचत) बजट का विवरण निम्नवत है।

| क्र.सं. | अनुदान की मद संख्या व मद का नाम                  | अनुदान की धनराशि (रु०) | व्यय की गई धनराशि (रु०) | बचत / व्याधिक्य का कारण (रु०) |
|---------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1       | 01-वेतन                                          | 6921508                | 6921508                 | 00                            |
| 2       | 03-मंहगाई भत्ता                                  | 3923020                | 3923020                 | 00                            |
| 3       | 04-यात्रा भत्ता                                  | 82000                  | 81282                   | 718 समर्पण                    |
| 4       | 06-अन्य भत्ते                                    | 437200                 | 437200                  | 00                            |
| 5       | 08-पारिश्रमिक                                    | 2349000                | 2348859                 | 141 समर्पण                    |
| 6       | 20 लेखन सामग्री एवं छपाई                         | 23000                  | 22905                   | 95 समर्पण                     |
| 7       | 21 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण                    | 67000                  | 66965                   | 35 समर्पण                     |
| 8       | कार्यालय व्यय                                    | 16000                  | 15040                   | 60 समर्पण                     |
| 9       | 23 किराया उप शुल्क एवं कर स्वामित्व              | 1500                   | 14010                   | 990 समर्पण                    |
| 10      | 24 विज्ञापन, बिक्री, वख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय | 00                     | 00                      | 00                            |
| 11      | 25-उपयोगिता बिलों का भुगतान                      | 9440                   | 9440                    | 00                            |
| 12      | 26-कम्प्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण  | 300000                 | 299952                  | 48 समर्पण                     |
| 13      | 27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान।    | 150000                 | 149803                  | 197 समर्पण                    |
| 14      | 40-मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र                  | 50000                  | 49602                   | 398 समर्पण                    |
| 15      | 42-अन्य विभागीय व्यय                             | 65000                  | 64834                   | 166 समर्पण                    |
| 16      | 51 अनुरक्षण                                      | 115000                 | 114696                  | 304                           |

**आकस्मिक बजट**

| क्र.सं. | अनुदान की मद  | अनुदान की धनराशि (रु०) | व्यय की गई धनराशि (रु०) | बचत / व्ययाधिक्य का कारण (रु०) |
|---------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1       | 08 पारिश्रमिक | 00                     | 00                      | 00                             |

## II. महाविद्यालय के छात्र निधि व अन्य खातों का विवरण

सत्र 2026-2027 में महाविद्यालय के छात्र निधि व अन्य खातों का विवरण निम्नवत है।

| क्र०<br>स० | छात्र निधि का नाम      | 01.04.2025<br>की धनराशि<br>(रु०) | सत्र 2025-26<br>में जमा<br>धनराशि (रु०) | कुल जमा<br>धनराशि<br>(रु०) | सत्र<br>2025-26 में<br>व्यय (रु०) | अवशेष<br>(रु०)<br>01.04.2026 |
|------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 01         | छात्र सहायता कोष शुल्क | 22758.00                         | 3860.00                                 | 26618.00                   | 10304.00                          | 16314.00                     |
| 02         | परिचय पत्र शुल्क       | 20010.00                         | 6550.00                                 | 26560.00                   | 17387.00                          | 9173.00                      |
| 03         | छात्र संघ शुल्क        | 32299.00                         | 12720.00                                | 45019.00                   | 33477.00                          | 11542.00                     |
| 04         | विद्युत शुल्क          | 31309.00                         | 20060.00                                | 51369.00                   | 36360.00                          | 15009.00                     |
| 05         | प्रांगण विकास          | 41131.00                         | 91300.00                                | 60431.00                   | 48773.00                          | 11658.00                     |
| 06         | काउंसिलिंग शुल्क       | 29478.00                         | 6930.00                                 | 36408.00                   | 24563.00                          | 11845.00                     |
| 07         | कम्प्यूटर अनुरक्षण     | 31848.00                         | 21580.00                                | 53428.00                   | 33143.00                          | 20285.00                     |
| 08         | विभागीय परिषद          | 63336.00                         | 16200.00                                | 79536.00                   | 50465.00                          | 29071.00                     |
| 09         | विविध शुल्क            | 74243.00                         | 30850.00                                | 105093.00                  | 87645.00                          | 17448.00                     |
| 10         | वाचनालय शुल्क          | 38849.00                         | 10030.00                                | 48879.00                   | 3379.00                           | 15500.00                     |
| 11         | महाविद्यालय दिवस       | 9569.00                          | 6970.00                                 | 15739.00                   | 11253.00                          | 4486.00                      |
| 12         | सांस्कृतिक समारोह      | 62180.00                         | 12720.00                                | 74900.00                   | 56023.00                          | 18877.00                     |
| 13         | पत्रिका शुल्क          | 82063.00                         | 11550.00                                | 93613.00                   | 89017.00                          | 4596.00                      |
| 14         | क्रीड़ा शुल्क          | 91880.00                         | 69300.00                                | 161180.00                  | 122621.00                         | 38559.00                     |
| 15         | प्रसाधन शुल्क          | 56844.00                         | 11550.00                                | 68394.00                   | 56419.00                          | 11975.00                     |
| 16         | रोबर्स/रेंजर्स         | 89612.00                         | 11580.00                                | 101192.00                  | 45245.00                          | 55947.00                     |
| 17         | कॉशनमनी                | 34739.00                         | 15200.00                                | 49939.00                   | 00                                | 51022.00                     |
| 18         | शिक्षक-अभिभावक संघ     | 13464.00                         | 10030.00                                | 23494.00                   | 16116.00                          | 7378.00                      |
| 19         | रेड-क्रॉस              | 16874.00                         | 16300.00                                | 18504.00                   | 11502.00                          | 7002.00                      |
| योग        |                        | 451176.00                        | 354327.00                               | 805503.00                  | 301408.00                         | 504095.00                    |

### सत्र 2025-2026 में महाविद्यालय के अन्य खातों का विवरण

| क्र०<br>स० | छात्र निधि का<br>नाम     | 01.04.2025<br>की धनराशि<br>(रु०) | सत्र 2025.26<br>में जमा<br>धनराशि (रु०) | कुल जमा<br>धनराशि<br>(रु०) | सत्र<br>2025-26<br>में व्यय<br>(रु०) | अवशेष<br>(रु०)<br>01.04.2026 |
|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 01         | वि० वि० परीक्षा<br>शुल्क | 33125.00                         | 61239.00                                | 94125.00                   | 85021.00                             | 9343.00                      |
| 02         | नैक शुल्क                | 518849.00                        | 00                                      | 518849.00                  | 10466.00                             | 511813.00                    |
| योग        |                          | 151974.00                        | 61239.00                                | 612974.00                  | 95487.00                             | 521156.00                    |

भाग –3: मैनुअल 12  
सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और  
ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

सूचना शून्य—

भाग –3: मैनुअल 13  
अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं  
की विशिष्टियाँ

समय—समय पर उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड व शासन से प्राप्त निर्देशों के  
अनुसार रियायत दी जाती है।

भाग –3: मैनुअल 14  
किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको  
उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य कार्यालय में आधारभूत सूचनाओं का कार्य कम्प्यूटरीकृत हो चुका है।  
महाविद्यालय द्वारा तैयार स्टाफ स्टेटमेन्ट कम्प्यूटर में संग्रहीत है, जो इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध  
हो सकता है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय से संबंधित कई सूचनाएं व गतिविधियों की रिपोर्ट  
महाविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे वहां पर देखा जा सकता है।

### भाग -3: मैनुअल 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।

सूचनायें आवेदन पर कार्यालय समय 10:00 बजे से 05:00 बजे तक कार्य दिवसों में उपलब्ध होंगी। इस मध्य अपेक्षित सूचनायें राजकीय महाविद्यालय बनबसा (चम्पावत) के लोक सूचना अधिकारी प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती हैं।

### भाग -3: मैनुअल 16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| संस्था/कार्यालय का नाम: | राजकीय महाविद्यालय बनबसा, चम्पावत                  |
| लोक सूचना अधिकारी:      | डॉ० भूप नरायन दीक्षित, असिस्टेंट प्रोफेसर-अंग्रेजी |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी    | डॉ० आनन्द प्रकाश सिंह, प्राचार्य                   |
| द्वितीय अपीलीय अधिकारी: | डॉ० आर०एस० भाकुनी                                  |
|                         | उप निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड हल्द्वानी         |

### भाग -3: मैनुअल 17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए

इसके अतिरिक्त महाविद्यालय से संबंधित कई सूचनाएं व गतिविधियों की रिपोर्ट महाविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे वहां पर देखा जा सकता है।

  
(डॉ० आनन्द प्रकाश सिंह)  
प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय बनबसा  
(चम्पावत)